

Office.**Secretary, Council of Technical Education,****Uttar Pradesh Lucknow.****No.:- Praship/Council Affiliation/2021/3537****Lucknow: Dated: 09/08/2021****-Office memo-**

All India Council of Technical Education, New Delhi / Pharmacy Council of India, New Delhi for the academic session 2021-22 after the approval of diploma level technical educational institutions for grant of affiliation / affiliation extension to Technical Education Council, Uttar Pradesh Lucknow. On date-08/08/2021, the meeting of the affiliation committee was completed in the council office. In the meeting, the committee decided to grant affiliation/affiliation extension for the session 2021-22, considering other items including affiliation to the new institutions applied for for the session 2021-22 / affiliation extension to the already operating institutions / course / admission capacity increase. Went.

In continuation of the decision taken in the meeting of the affiliation committee, the following institution is given affiliation extension for the course and admission capacity mentioned in it for the session 2021-22 by Technical Education Council, Uttar Pradesh Lucknow under the following conditions:-

Organization Code & Name : 3348-ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY VILLAGE-SHEKHUPUR,POST-BAGHPUR,KANPUR DEHAT-209307

Sl No.	name of course	Admission Capacity approved by AICTE / PCI for the session 2021-22	Admission capacity approved by the council for the session 2021-22
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60

Conditions for Affiliation

- ✓ The institution will fully comply with all the conditions laid down by AICTE / PCI.
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, रीमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं

शेअरों का अनुपालन करेंगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों (तीनों पाठ्यक्रमों हेतु ₹-0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹-0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹-0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जाएगा। जयसंका के ज्यूरिस्टिक छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में सहाय-सहाय पर सख्तन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनोदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनरुज दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को 100000 प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा तथा समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के बिना रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट शासनोदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अलग्गी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कचये गये विधिविधानो/विनियमनो/शासनोदेशो/निर्देशों एवं निर्देशिका, प्राथमिक शिक्षा, 10000, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, 10000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 10000 द्वारा कचये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रहती है तो इस संबंध में उत्तरा उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. जयसंका द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई०टी० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति/विधि के सम्बन्ध में अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनरुज आदेश/नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सनात सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रोकने के सम्बन्ध में सख्त आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को पढ़ाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सखन-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ In case of non-compliance of the affiliation conditions or violation of the conditions, disciplinary action will be taken as per rules.

W/10/2021

(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary

P.No-Praship/Council Affiliation/2021/3538-4809

Date: 09/08/2021

copy:-

Principal/Director, ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY VILLAGE-SHEKHUPUR,POST-BAGHPUR,KANPUR DEHAT-209307



(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संसदनक

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संसदनक: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय शाय:-

संश्लेष भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेशी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा संकेत संख्या 2022-23 हेतु दिग्विधाय संसदीय तकनीकी शिक्षण संसद-ओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तत्पश्चात प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबद्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसारा में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संसदनक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 3348-ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY			
क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	ए-आई-सी-टी-ई-टी/पी-सी-आई-टी द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
3	CIVIL ENGINEERING	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए-आई-सी-टी-ई-टी/पी-सी-आई-टी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एका-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन-वली-1992, विनियमन-वली-2000, सेनेसुनर विनियमन-वली-2016 तथा संसदनक-संसदनक पर निर्मित शसनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय द्वैतीय पाठ्यक्रमों हेतु रु- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम हेतु रु- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक संसदनक से प्राप्त किए जाएंगे। तत्पश्चात के अधिकांश लागूलाय-ओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सारन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारन-देश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा प्रति सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाका है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संसदनक प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को संसदनक-संसदनक पर निर्मित शसनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संसदनक उत्तर प्रदेश सारन द्वारा निर्मित विनियमन-वली/विनियमन-वली/शसनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक

विद्या, 10000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, 10000 तथा प्राविधिक शिक्षा परीषद्, 10000 द्वारा कक्षों एवं विभा, विभागों, कार्यों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का एम-एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में संस्था प्रायोजित संस्था का होना और विभिन्न रूप से विद्या की कार्यवाही के लिए संस्था को उपयुक्त होना। प्राविधिक शिक्षा परीषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रदान के लिए यदि कोई कदम उठाया जाता है तो संस्था को संस्था में न. न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निमित्त किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीषद्, उच्च प्रवेश परीषद् द्वारा प्रवेश एवं प्रवेश हेतु आवेदनित कागजातों का प्रदान होने के पूर्व एम-एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमोदन प्राप्त कर परीषद् कार्यवाही को उपयुक्त करता होगा संस्था उन्हें प्रवेश की एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत कार्यवाही प्रवेश, अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रवेश परीषद् द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-संस्था पर निमित्त कार्यवाही अन्तर्गत विद्या की अनुमोदन करण बध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की एडमिनिस्ट्रेशन सूचि भूमि, कार्य, कार्य-सूचि, उपकरण, प्राप्त किया जाने काल सूचि, कार्यवाही सूचि आदि का निराल उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रतिक्रिया हेतु उपयुक्त कार्यवाही उपलब्ध करने के साथ प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत में समस्त कार्यवाही परीक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रायोजित कार्यवाही परीक्षा को कक्षाओं में हेतु निर्देशन कार्यवाही के समस्त उपलब्ध कराने एवं अधीन, भूमि-सूचि, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षा के अन्तर्गत में प्रवेश किया जाता है और परीषद् को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था परीक्षा का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उक्त संस्था की सम्बन्धित कार्यवाही किया जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के अन्तर्गत स्थलीय निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, सूचि, परीक्षा, उपकरण एवं अन्य कार्य-सूचि एम-एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन/एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बन्धित कार्यवाही कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुमोदन न होने वाले संस्था कार्य का उपलब्ध होने जाने की विधि में विद्युत-सूचि अनुमोदन-सूचि कार्यवाही की जाएगी।


(एस.आई.एस. कार्यालय)
सचिव

दूरभा- प्राविधिक परीषद् संचार-दूरभा-10000/7818-8488

दिनांक: 30/08/2022

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय
ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY


(एस.आई.एस. कार्यालय)
सचिव

कार्यालय,**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय ज्ञापः:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3348-ASIAN INSTITUTE OF RURAL TECHNOLOGY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईआईटीआई/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3089/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थानों की जीव के विरुद्ध तकनीकी न्यायालय में चालित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्मित की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, सेवा उपकरण) आदि उपलब्ध हों।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्मित शासन-वर्देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासन-वर्देश प्रकटी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीठ निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु पीठ का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीठ की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासन-वर्देश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

